

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996

जयपुर, दिनांक: 10-03-2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100(ग्रेड-पे रु 5400/-) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० नविता गुप्ता पत्नी डॉ० शरद टिक्कीवाल, म.नं. 672 टिक्कीवालों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर	33	07.09.1976	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज जयपुर
2.	डॉ० नरेन्द्र कुमार सांसी पुत्र श्री समर्थ सिंह सांसी शिव कालोनी, कुचलवाड़ा रोड़, देवली जिला-टोंक (राज.)	76	10.05.1990	अनु. जाति	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
3.	डॉ० मनोज सैनी पुत्र श्री गिरधारी लाल सैनी F-2/8A सैनी सदन के पास, व्यास कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर-302016	84	11.09.1989	पिछड़ा वर्ग	मेडिकल कॉलेज, कोटा
4.	डॉ० विनोद कुमारी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार 16 ऑफिसर कैम्पस, चर्च रोड़, सिरसी रोड़, गेट नं. 4 जयपुर-302012	89	08.06.1974	पिछड़ा वर्ग महिला	मेडिकल कॉलेज जयपुर
5.	डॉ० निशा गंगवाल पत्नी डॉ० रमेश कुमार चौपड़ा 83, महावीर नगर द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर-302018	110	15.10.1981	अनु.जाति महिला	मेडिकल कॉलेज जोधपुर
6.	डॉ० कविता मीना पत्नी श्री लोकेश्वर प्रसाद मीना, सीरों का बांस, जमवारामगढ़ तहसील-जमवारामगढ़, जिला जयपुर- 303109	118	30.03.1985	अनु. जनजाति महिला	मेडिकल कॉलेज जयपुर
7.	डॉ० मनमोहन पुत्र श्री भागचन्द बागड़ी 135, विनोवा विहार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर-302017	119	15.07.1987	अनु. जनजाति	मेडिकल कॉलेज जयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


10/3/17

5105-50-81 उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीय निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीय होगी।

आदेश से
10/3/17
(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी-निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(33)भर्ती/गोपनीय/2013-14/210 दिनांक 06.09.2016 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

10/3/17
(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव